उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-57/2018/2404/92-1-2018-38(अधि0)/2017टीसी
लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री परवेज अली, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-एटा को अपने कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-एटा का अतिरिक्त रूप से कार्य देखे जाने हेतु शासन के अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री अली, अधिशासी अभियंता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

3- उक्त आदेश श्री अब्दुल मुईन खां, अधिशासी अभियंता की सेवानिवृत्ति दिनांक 30-6-2018 के उपरान्त प्रभावी होंगे।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-57/2018/2404(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in